**राजस्थान सरकार**
कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
website:https://www.rghs.rajasthan.gov.in email: helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in
Phone: 0141-2740219

क्रमांक–एफ–1(268)/आरजीएचएस/फण्ड मैनेजमेन्ट/2021–22/1071 दिनांक – 30/9/21

## परिपत्र – 4

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021 के बिन्दु संख्या 244 की अनुपालना में दिनांक 01.07.2021 से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के प्रथम चरण का आरंभ किया जा चुका है। वित्त (बीमा) विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Part II Jaipur दिनांक 07.07.2021 एवं वित्त (बीमा) विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Part II Jaipur दिनांक 07.09.2021 में कार्मिकों के राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल होने हेतु प्रतिमाह अंशदान कटौती की किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

राज्य सरकार के वे समस्त कार्मिक जो स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा ऐसे संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है जिनके वेतन बिल पे मैनेजर से आहरित नहीं होने के कारण R.G.H.S का अंशदान चैक एवं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाया जा रहा है, वे आवश्यक रूप से ई–ग्रास में ही अंशदान जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। इस हेतु आवश्यक रूप से पात्र लाभार्थी कार्मिक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के बजट मद 8342–00–120–(69) में ई–ग्रास के माध्यम से अंशदान जमा करवाते समय Office Name : 36829 Project Director R.G.H.S SI & PF Department Vitta Bhawan Jaipur , Treasury: JAIPUR (SECTT.) चयन करे।

**संबंधित संस्थानो के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करवावें।**

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक
आर.जी.एच.एस वित्त भवन,जयपुर

क्रमांक – एफ–1(268)/आरजीएचएस/फण्ड मैनेजमेन्ट/2021–22/1071–80 दिनांक – 30/9/21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, निदेशक ,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा)विभाग शासन सचिवालय,जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त कोषाधिकारी।
8. संबंधित संस्थान समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार मीणा)
संयुक्त परियोजना निदेशक
आर.जी.एच.एस वित्त भवन,जयपुर